

निविदा की आवश्यक शर्तें

1. प्राक्कलित राशि एवं तदनुसार अग्रधन की राशि घट-बढ़ सकती है। परिमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि ही मान्य होगी।
2. पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड सरकार, राँची में निबंधित समुचित श्रेणी के संवेदक ही निविदा के पात्र होंगे। साथ ही उनका निबंधन अद्यतन एवं वैध होना चाहिए। पथ निर्माण विभाग के निबंधित संवेदको को निविदा कागजातों के साथ पथ निर्माण विभाग से निर्गत कार्यादेश पंजी की स्वअभिप्रमाणित भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। भवन निर्माण से संबंधित कार्य में भवन निर्माण विभाग के निबंधित संवेदक विद्युत कार्य अनुज्ञा पत्र लगाने वाले संवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी (यदि कार्य में विद्युत कार्य मद हो) लगाना आवश्यक है।
3. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 8/6 वर्षीय एन०एस०सी०, F.D.(तीन वर्षीय), जो कार्यपालक अभियंता एन०आर०ई०पी० गोड्डा के पदनाम से इस सूचना निर्गत की तिथि के पश्चात की तिथि विधिवत् प्रतिज्ञित हो, ही स्वीकार्य होगा। यह छः वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र(आठवाँ निर्गम) अथवा 3/5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का (Fixed Deposit) के रूप एवं वित्त विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 4-95(खंड) 295 दिनांक 24.01.2002 द्वारा निर्धारित शर्त के अनुरूप होना चाहिए। झारखंड राज्य के बाहर के डाकघरों से निर्गत होने पर मान्य नहीं होगा।
4. निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद से निविदा के साथ संवेदकों को इस आशय का अलग-अलग शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें न तो काली सूची में डाला गया है, न ही डिबार किया गया है, और न ही किसी कार्यालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में स्थानीयता/वरीयता के आधार पर कार्यावटन किया गया है।
5. निविदा के साथ अग्रधन एवं एकरारनामा के समय दी जानेवाली राशि परिमाण विपत्र की राशि के क्रमशः 2% एवं 3% की दर से जमा करना अनिवार्य होगा।
6. पथ निर्माण विभाग, झारखंड राँची के संकल्प सं० 2146 (s) दिनांक 09.09.2020 में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक के द्वारा 10% से कम दर Quote करने पर एकरारनामा के समय Additional Performance Security की राशि निम्नवत जमा करनी होगी
 - (i) 10 से 20 प्रतिशत Below तक की राशि का 20% तथा
 - (ii) 20% से अधिक Below की राशि का 30% अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा।
7. निविदा के साथ अद्यतन आयकर सफाया प्रमाण पत्र, वाणिज्य कर जी०एस०टी० निबंधन एवं सफाया प्रमाण पत्र, पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र(विगत छह माह के अन्दर का), श्रम निबंधन प्रमाण पत्र एवं संवेदक निबंधन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, तकनीकी विशेषज्ञता इत्यादि की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदादाता को निबंधन प्रमाण पत्र के साथ ucan certificate का स्व-अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र लगाना होगा। साथ ही निविदा के साथ ऊपर वर्णित कागजातों के अतिरिक्त यंत्र-सयंत्र के स्वामित्व/लीज/हायर संबंधित कागजात (इन यंत्र-सयंत्र के चालू स्थिति का शपथ पत्र के साथ) एवं अन्य आवश्यक कागजात की प्रति (स्व-अभिप्रमाणित) समर्पित करना होगा। **सभी शपथ पत्र (अलग-अलग) निविदा प्रकाशन के तिथि के बाद का मान्य होगा।**
8. पथ निर्माण विभाग, झारखंड राँची के संकल्प सं० 2146 (s) दिनांक 09.09.2020 में निहित प्रावधान के आलोक में :-
 - (a) Bill of Quantity (Boq) का 10% (दस प्रतिशत) से नीचे की दर की निविदाएँ अनुमान्य होगी।
 - (b) बंध एवं समान दर की निविदाओं के मामले में निविदा का निष्पादन पारदर्शी तरीके से लॉटरी (Lottery) की पद्धति द्वारा की जायेगी।
9. किसी भी संवेदक को कार्य आवंटन के उपरांत सबलेट करना एकरारनामा के शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।
10. कार्य अनुभव प्रमाण पत्र गलत पाए जाने की स्थिति में उन पर नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।
11. जिन संवेदको द्वारा विपत्र ली जाती है उन्हें अग्रधन की राशि तथा सम्पूर्ण कागजातों के साथ निश्चित रूप से डालनी होगी अन्यथा भविष्य में कार्य आवंटन पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. झारखंड लघु खनिज श्रमनुदान नियमावली 2004 के नियम -55 के तहत विकास/निर्माण कार्यों में उपयोग में लाये जाने वाले लघु खनिज वैध खनन पट्टेधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों से क्रय कर लिया जाना है। तथा उक्त नियमावली के उप नियम -'1' के तहत संवेदक द्वारा व्यवहार में लाये गये लघु खनिज के विरुद्ध प्रपत्र- 'ओ' एवं 'पी' कार्य विभाग को दाखिल करेंगे, जिसका सत्यापन खनन कार्यालय से कराना अनिवार्य है।
13. निविदादाताओं को निविदा के साथ विगत **तीन वर्षों** में किये गये कार्यों के विवरण का स्व-अभिप्रमाणित अनुभव/भुगतान प्रमाण पत्र देना होगा।
14. एकरारनामा के तुरंत बाद ही श्रम निबंधन प्रमाण पत्र **(कार्य समाप्ति के पहले)** लगाना आवश्यक होगा, जिसका शपथपत्र परिमाण विपत्र जमा करते समय लगाना होगा।
15. यदि निविदा प्राप्ति की तिथि को अगर अवकाश घोषित होता/रहता है, तो अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर निविदा प्राप्त की जाएगी।
16. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तें एकरारनामा के अंग होंगे। किसी प्रकार की कानूनी विवाद का निपटारा माननीय गोड्डा व्यवहार न्यायालय, गोड्डा के अधिकार क्षेत्र में ही होगा।
17. निविदादाता स्वयं कार्यस्थल का निरीक्षण कर स्थिति देख लें एवं स्थिति से संतुष्ट होने के बाद ही निविदा में भाग लें। कार्यस्थल परिवर्तित हो सकता है, इस संबंध में उपायुक्त, गोड्डा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
18. आवंटन की उपलब्धता रहने पर ही विपत्रों का भुगतान किया जाएगा। आवंटन के अभाव में किसी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।
19. कार्य में लगने वाले निर्माण सामग्री यथा छड़, सिमेंट, चिप्स इत्यादि विशिष्टियों के अनुरूप कार्य स्थल पर संवेदक को स्वयं आपूर्ति करना है, विभाग से कोई भी सामग्री/उपकरण उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। योजना में लगाये गये सामग्रियों का रॉयल्टी (चालान) मापी-विपत्र के साथ उपलब्ध कराने के बाद ही विपत्र पारित किया जायेगा।
20. सशर्त एवं अस्पष्ट निविदा अमान्य होगा।
21. एकरारनामा अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर एकरारनामा की कंडिका के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। कार्यावधि विस्तार की स्वीकृति विशेष परिस्थिति में वैध कारणों पर सक्षम पदाधिकारी के द्वारा ही दी जायेगी।
22. जिस संवेदक का इस प्रमंडल में पूर्व से आवंटित कोई कार्य अगर लंबित है, अथवा उनका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है, तो उन्हें कार्य आवंटन पर विचार नहीं किया जाएगा।
23. संवेदक का श्रम अधीक्षक कार्यालय से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के तहत निबंधित होना आवश्यक है।
24. विशेष सूचना एवं निविदा से संबंधित जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य दिवस/कार्यावधि में संपर्क किया जा सकता है।
25. अधोहस्ताक्षरी एवं सक्षम पदाधिकारी को बिना कारण बताए किसी एक या सभी कार्यों की निविदा को रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।
26. संवेदक के विपत्र से आयकर, बिक्री कर, रॉयल्टी, जी०एस०टी०, रैभन्यु आदि के अलावा सरकार के आदेशानुसार 01 (एक) प्रतिशत मजदूर उपकर हेतु कटौती होगी।
27. बिना कारण एक माह तक लगातार कार्य बंद रहने की स्थिति में कार्य का आवंटन रद्द करते हुए भुगतान की गई राशि वापस लेने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
28. संवेदक द्वारा कार्य करने के दौरान गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा एवं जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने में होने वाला व्यय संवेदक को स्वयं वहन करना होगा।
29. निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्य स्थल एवं सामग्री के श्रोतों की पूरी जानकारी सुनिश्चित कर लेंगे।
30. किसी प्रकार की दर बढ़ोतरी (Price Escalation) मान्य नहीं होगा।
31. सफल निविदादाता को निविदा के निष्पादन के 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कर लेना आवश्यक होगा, अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त करते हुए दुसरे न्यूनतम दर वाले निविदादाता के नाम कार्य आवंटित करने हेतु अनुशासित कर दिया जायेगा।
32. निविदा में भाग लेने वाले संवेदक का रा०ग्रा०नि०कार्य०, गोड्डा या किसी भी विभाग में कोई भी कार्य तय एकरारनामा अवधि के छह 6 माह के उपरांत भी लंबित नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

33. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अनिवार्य होगा।
34. एकरारनामा के समय वर्क प्रोग्राम (बार चार्ट) देना होगा तथा वर्क प्रोग्राम के अनुसार ही कार्य की प्रगति सुनिश्चित करना होगा।
35. कार्य समाप्ति के बाद कार्य का त्रुटिपूर्ण दायित्व अवधि (Deffect Liability Period) एक वर्ष का होगा।
36. निविदा Percentage Rate Contract पर आधारित होगा।
37. संवेदक अपने खर्च पर कार्य स्थल पर सम्बन्धित योजना का सूचना-पट्ट लगाना सुनिश्चित करेंगे। सूचना-पट्ट पर योजना के प्राक्कलन से संबंधित सारी जानकारी अंकित करना होगा तथा विस्तृत प्राक्कलन की एक प्रति भी कार्य स्थल पर उपलब्ध रखना होगा ताकि स्थल निरीक्षण के समय देखा जा सके। सूचना पट्ट में 1. योजना मद 2. योजना का नाम 3. कार्यकारी एजेन्सी, 4. संवेदक का नाम, 5. योजना की प्राक्कलित राशि, 6. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 7. कार्य समाप्ति की तिथि 8. मजदूरी दर 9. वित्तीय वर्ष :- 2021-22 10. एकरारित राशि 11. कार्य पूर्ण करने की निर्धारित कालावाधि अंकित करना होगा।
38. पूर्व में आवंटित समान प्रकृति के कार्य बिना पर्याप्त कारण के निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं करने वाले संवेदक का कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
39. (क) योजना प्रारम्भ करने के पूर्व विभिन्न कोनों से कार्य स्थल की जियोटैग स्टील फोटोग्राफी भी कराई जाय।
(ख) कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में योजना की कम से कम दो जियोटैग स्टील फोटोग्राफी कराई जाय।
(ग) कार्य पूर्ण होने पर योजना की जियोटैग स्टील फोटोग्राफी कराकर सभी फोटोग्राफ उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- 41 निविदादाता 100/- रुपये (एक सौ रुपये) मूल्य के Non Judicial Stamp Paper पर इस आशय का शपथ पत्र देगे कि उनके द्वारा समर्पित सभी सूचनाएँ/कागजात सत्य एवं सही है तथा गलत पाये जाने पर विभाग किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा।

कार्यपालक अभियंता
एन०आर०ई०पी०, गोड्डा